


राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक भवन, जयपुर।

क्रमांक: डीईएस/स्टेशनरीस्टोर/स्टेशनरी/2019-20/34 दिनांक: 06-02-19

बिड आमंत्रण सूचना ए-04/2019-20/04.....

वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक वर्ष के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के राजकार्य उपयोगार्थ लेखन सामग्री क्रय किये जाने हेतु पंजीकृत फर्मों से मुहरबन्द बिडस आमंत्रित की जाती है सामग्री की दरें एक वर्ष की अवधि तक अनुबन्धित की जाकर आवश्यकतानुसार समय-समय पर सप्लाई की जावेगी। बिना कारण बताए बिड निरस्त करने का अधिकार निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर को होगा तथा सशर्त निविदाएँ स्वीकार्य नहीं हैं। बिड प्रपत्र निम्नानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराकर कैशियर से प्राप्त की जावेगी।

क्र. सं.	सामग्री का नाम	अनुमानित राशि	बयाना राशि	बिड शुल्क	बिड प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि	बिड प्रस्तुत करने की तिथि	बिड खोलने की तिथि एवं समय
1	लेखन सामग्री (परि "अ" के अनुसार)	300000/- (तीन लाख रुपये)	6000/- (छह हजार रुपये)	200/- (दो सौ रुपये)	06.02.2019 से 26.02.2019 12.00 पी एम तक	26.02.2019 1-00पीएम तक	26.02.2019 3-00 पी.एम



(डॉ.ओमप्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: डीईएस/स्टेशनरीस्टोर/स्टेशनरी/2019-20/3537 दिनांक: 06-02-19

प्रतिलिपि:-

- (1)
- 1- प्रोग्रामर मु0 को s p p p पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु।
 - 2- कैशियर, निदेशालय मुख्यालय को 10-10 बिड प्रपत्र बिकी हेतु।
 - 3- नोटिस बोर्ड


(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

Government of Rajasthan
Directorate of Economic & Statistics
Yojana Bhawan, Jaipur
परिशिष्ट "अ"

Approximet Requirement of Officially Stationary

Sr. No.	ITEMS	MAKE	Quantity approx	दर प्रति नग/पैकेट/ समस्त पैकिंग व्यय सहित सामग्री के आगे अंकित करें। तथा केवल मांगे गये make की दरें ही प्रस्तुत करें जीएसटी अतिरिक्त दर्शावें	विशेष विवरण
1-	File Pad	20 OUNS	2000 pcs		
2-	File Cover	18 OUNS ORDINERY	2000 pcs		
3-	Aalpin (Pkt.)	ZEBRA 100 GRAMS	100 pcs		
4-	Scale 12 " Plastic	NATRAJ	10 pkt		
5-	Gum (150 ml)	CAMELIN	100 pcs		
6-	White Fluid Ink / Pen	KORES	200 pcs		
7-	Aalpin BOX PIN kushan	SUPEREME	50 pcs		
8-	Stapler (No. 10 & 24)	KANGAROO	100-100 pcs		
9-	Fevi Stickl 15 grams	FEVICOL	100 pcs		
10-	Tape celio (1 inch)	WONDER 30 MTR	50 pcs		
11-	Cello tape (2 inch)	WCNER 30 MTR	50 pcs		
12-	Paper Weight Plastic & Glass	ORDINERY	100 pcs		
13-	Plastic Folder (A-4 Size & Legal Size / Infinnity	INFINITY	2000-1000 pcs		
14-	Plastic Folder Button (Legal Size)infinity	INFINITY	2000 pcs		
15-	Staple Pin (23/10) (24/6) (23/17)	KANGAROO	100-100-100 pcs		
16-	U-Pin	PLASTIC COATED	100 pkt		
17-	Ball Pen	BUTTER FLOW	1000 pcs		

18	Add Gel Pen Achiver/Blue/Black/Red/Green	ADD-GEL	100 pcs					
19	Refill Add Gel Pen Achiver/Blue/Black/Red/Green	ADD GEL	100 pcs					
20	Techno Sheet A-4	JK	1500 sheets					
21	Royal Bond Paper	JK	10 RIMS					
22	Card Sheet Rim	(22"X28") 170 GSM	900 pcs					
23	Linedar Register 100, 200, 300, 400, & 500 Pages	ORDINERY BINDING 70 GSM 17 *27 SIZE	100-20-20-20- 20 pcs					
24	Stamp pad Small/Medium/Larg)	ASHOKA	50-50-50 pcs					
25	Sharpner (Pkt)	NATRAJ NORMAL	20 PKT					
26	Eraser (Pkt)	NATRAJ NON DUST WHITE	20 PKT					
27	Pensil H.B (Pkt.)	NATRAJ 62 NO.	50 PKT					
28	Staple Pin (10 No) Per box (20 Pkt.)	KANGAROO	20 boxes					
29	Pokar Plastic (Pkt.)	PLASTIC HANDAL NORMAL	20 PKT					
30	Carbon(Pkt) Blue	KORES	10 PKT					
31	Marker Pen & C.D Marker	STICK	100 pcs					
32	Attendance Reg. (12 /24/36 Page)	NORMAL	20-20-20 pcs					
33	Tap Roll-1 (Brown 1" & 2" inch)	WONDER 30 MTR	50-50 pcs					
34	High Lighter (5 pcs per pkt)	KORES	100 PKT					
35	Colour Flag Normal Size	OI INCH	200 PKT					
36	Slip Diary Spiral Formet 80 pg	UNIQUE 70 GSM	500 PCS					

37-	Slip Diary No.8 Monark 140 pg	70 GSM	500 PCS				
38-	Slip Diary Spiral Multy colour 80 pg.	NEEL GAGAN 33 NO	50 PCS				
39-	Slip Dairy Spiral Multy colour 140 pg. surya kiran	SURYA KIRAN	200 pcs				
40-	Dispatch Reg. & Receipt Reg	400 PGS ORDINERY BINDING	2-2 PCS				
41-	Envalop Brown 9x4, 11x4, 15x12 with & A-4 भारत सरकार की सेवार्थ प्रिन्ट सहित	80 GSM	5000-5000-5000- 5000 PCS				
42-	Dak Pad Legal Size	NORMAL	100 PCS				
43-	Pilot Pen V10 Sing./ V07/ V05 Luxar	LUXER WITH CARTIDGE	100 PCS each				
44-	PAPER CUTTER	NATRAJ 6 INCH	100 pcs				
45-	Slip pad ordinary 40 pages	08 NO. NORMAL	2000 pcs				
46-	Spiral dairy	WORLD ONE 100 PGS	500 pcs				
47-	Plastic border bag	INFINITY 536 NO NORMAL	500 pcs				
48-	Binders clip	INFINITY 25 NO	500 pcs				
49-	Binder clip	IFINITY 51 NO	500 pcs				
50-	Strip FILE	NORMAL	500 pcs				
51-	File lase	924 no	100 pkt				
52-	File tag	NORMAL	100 pkt				
53-	Black pocket legal plastic folder	NORMAL	1000 pcs				

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग जयपुर
बिड फार्म
(अ) लेखन सामग्री

1 बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता मय टिन व दूरभाष नम्बर

2. किसको सम्बोधित किया गया – निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर द्वारा जारी की गई बिड आमंत्रण सूचना संख्या दिनांक में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं; (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)

4. निम्नलिखित मदों की सप्लाई की दरें निम्न प्रकार होंगी:--

क्र. सं.	यस्तु का नाम मय विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन)	दर (रुपये)	सीजीएसटी/आरजीएसटी/ अतिरिक्त दर्शाये जावे	मात्रा प्रति नग/पैकेट/
1	2	3	4	5
संलग्न पशिष्ट "अ" के अनुसार				

- फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 10 दिवस की अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी कर दी जावेगी।
- ऊपर उद्धृत की गई दरें आदेश दिनांक से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य है, इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाई भी जा सकेंगी।
- इसके साथ आयकर/जीएसटी/आरजीएसटी चुकती प्रमाण-पत्र, बिक्री कर पंजीयन एवं बिक्री कर चुकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत हैं।
- फर्म द्वारा विभागीय नमूने देख लिए गये हैं तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री के नमूने निविदा के साथ दिये जाते हैं।
- विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न है।
- सफल निविदादाताओं को नियमानुसार विभाग से 500/-रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा
- राज्य सरकार वित्त विभाग द्वारा जारी नियमानुसार धरोहर राशि जमा करानी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील/दिनांक

निविदादाता द्वारा घोषणा

नियम 48 (vii)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामान/ उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक बिक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत्त कर लिया जावेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील/दिनांक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

शर्तें :-

- (1) निविदा-दाता नीचे लिखी शर्तों तथा बिड फार्म में दर्शाए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर ही बिड प्रेषित करें।
- (2) यदि निविदादाता को इन शर्तों के अभिप्राय में या बिड फार्म में दी गई वस्तुओं के विवरण आकार-प्रकार, नाप-तोल आदि में किसी प्रकार का स्वदेह हो तो वह बिड भरने से पूर्व संयुक्त निदेशक (प्रशासन), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर से स्पष्ट कर लें। कालान्तर में किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा, जिसे निविदादाता मानने को बाध्य होगा।
- (3) निविदादाता को बिड के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे।



1. क्रय की जाने वाली वस्तु का विवरण -

क्रय की जाने वाली वस्तुओं के विवरण सम्बन्धित बिड फार्म में दर्शाये गये हैं, जो विभाग के पास उपलब्ध (यदि कोई हो) नमूने के अनुसार सफाई करनी है। उनके नमूने का अवलोकन भण्डारपाल, निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। निविदादाता नमूने देखने के उपरान्त ही बिड की दरें अंकित करेगा। बिड फार्म में दर्शाई गई वस्तु के विवरण में निविदादाता किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा तथा अपनी ओर से परिवर्तित विशिष्टियों की दरें अंकित नहीं करेगा। परिवर्तन करने पर उस वस्तु के लिये दी गई दर पर कोई विचार नहीं होगा। अतः बिड प्रपत्र में दर्शाये विवरण को ही आधार मान कर निविदादाता को एक ही दर अंकित करनी चाहिये।

2. इस कार्यालय में बिड प्रपत्र प्राप्त करने, भरी हुई प्रस्तुत करने का स्थान, तिथि तथा बिडस खोलने का समय व तिथि वही होगी जो बिड आमंत्रण विज्ञापित या संशोधित विज्ञापित (यदि कोई हो) में दर्शाई गई है। प्राप्त बिडस निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष (यदि कोई उपस्थित हो) कार्यालय निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर में खोली जावेगी।

3. क्रय हेतु सक्षम अधिकारी -

विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर बिड फार्म में अंकित वस्तुओं के लिये क्रय आदेश जारी करने हेतु निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राधिकृत होंगे।

4. बिड में सामान्य प्रदाय की एक ही दर अंकित करना -

- I. दरें सभी प्रकार के खर्चों जैसे भाड़ा, पैकिंग, भ्रमदूरी, चूंगी सम्मिलित किया जाना चाहिये।
- II. आदेशानुसार माल पहुंचाने का समस्त खर्च निविदादाता को वहन करना पड़ेगा।
- III. यदि किसी माल का भाड़ा क्रय अधिकारी को चुकाना पड़ा तो निविदादाता से माल का भाड़ा तथा चुकाये गये भाड़े का पॉंच प्रतिशत विभागीय खर्च के रूप में उसके बिल से वसूल किया जावेगा।

IV. जीएसटी/जीएसटी अतिरिक्त दर्शावे।

5. निविदादाता द्वारा बिड में दी गई दरों की वैधता -

निविदादाता द्वारा निविदा में दी गई दरों की बिड खोलने की आदेश दिनांक से 1 वर्ष तक वैध होगी। इस अवधि में अनुबन्ध एक साथ अथवा टुकड़ों में एक से अधिक बार विभाग की सुविधानुसार सम्पादित किया जांगा होगा एवं निविदादाता बिडस में दी गई दरों पर अनुबन्ध करने को बाध्य होगा अन्यथा बिड शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी अनुबन्ध हो जाने के पश्चात स्वीकृत दरों की वैधता शर्त संख्या 7 से नियंत्रित होगी।

6. बिड की अवधि -

स्वीकृत दरों की वैधता स्वीकृत दिनांक से 1 वर्ष तक होगी। इस अवधि के पश्चात स्वीकृत दरों की मान्यता क्रय अधिकारी एवं निविदादाता के आपसी समझौते पर उपापन नियमों के अनुसार मूल संविदा के माल के मूल्य का उपापन नियमों की सीमा तक उन्हीं दरों पर एवं शर्तों पर बढ़ाई जा सकती है।

7. निर्धारित विवरण एवं स्वीकृत नमूने अनुसार ही माल आपूर्ति करना-

समस्त वस्तुएँ बिडस में दर्शाये गये नाप, विवरण एवं विभागीय नमूने के अनुसार ही निविदादाता को निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर में आपूर्ति करनी होगी।

8. स्वीकृत वस्तु के मूल्य का भुगतान -

स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतान एवं निविदादाताओं से तीन प्रतियां में बिल प्राप्त होने पर बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अथवा आनलाईन द्वारा भुगतान की व्यवस्था की जावेगी परन्तु ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।

9. निविदादाता द्वारा ठेका किसी अन्य एजेन्सी को देना -

निविदादाता अपने ठेके या उसके किसी भाग को अन्य एजेन्सी को नहीं देगा व ना ही उससे सफाई

10. क्रय की मात्रा -

क्रय की जाने वाली वस्तु की मात्रा जो बिड में दर्शाई गई है वह केवल अनुमानित है न्यूनतम क्रय की कोई सीमा नहीं होगी। क्रयादेश विभाग की आवश्यकतानुसार दिये जा सकेंगे। विभाग की आवश्यकतानुसार बिडस में अंकित मात्रा से उपापन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा तक अधिक मात्रा के क्रयादेश दिये जा सकेंगे।

11. सामान सप्लाई की अवधि-

निविदादाता को क्रयादेश निर्णय दिनांक से 10 दिन की अवधि में सामान की आपूर्ति करनी होगी यदि निर्धारित समय में निविदादाता उक्त सामग्री सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो निम्नांकित दर से जितनी अवधि का विलम्ब हुआ है माल की कीमत के आधार पर सहमत क्षतिपूर्ति के रूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार राशि वसूल की जावेगी।

1st. माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि में एक चौथाई भाग की देरी पर 2 प्रतिशत।

2nd. माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि में एक चौथाई से अधिक लेकिन आधे भाग की अवधि तक की देरी पर 5 प्रतिशत।

3rd. माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि की आधा भाग से अधिक लेकिन तीन चौथाई भाग की अवधि तक की देरी पर 7 प्रतिशत।

12. माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि में तीन चौथाई भाग की अवधि से अधिक लेकिन बराबर की अवधि पश्चात माल स्वीकार नहीं किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में उचित कारणों से 10 प्रतिशत सहमति क्षतिपूर्ति वसूल कर सामग्री स्वीकृत की जावेगी। सामान्य क्रयादेश निर्णय दिनांक से 60 दिन के पश्चात माल स्वीकार नहीं किया जावेगा।

13. आदेशित माल सप्लाई न करना अथवा आंशिक सप्लाई करना -

निविदादाता द्वारा क्रयादेश में निर्धारित अवधि या शर्त संख्या 13 के अनुसार बढ़ाई गई अवधि में आदेशित वस्तुएं बिल्कुल सप्लाई न करने पर या पूरी तादाद में सप्लाई न करने पर या सप्लाई की वस्तुएं अस्वीकृत होने पर उन अस्वीकृत हुई वस्तुओं को आदेशित अवधि में पुनः सप्लाई न करने पर ऐसी वस्तुओं को अन्य व्यापारी से क्रय करने का अधिकार निदेशक को होगा। आदेशित मात्रा से कम सप्लाई अथवा बिल्कुल सप्लाई नहीं की गई वस्तुओं के मूल का 10 प्रतिशत अथवा रिज्वरचेज में होने वाली हानि (दोनों में जो अधिक हो) लिक्विडेटेड डेमेजेज के रूप में निविदादाता से वसूल की जावेगी जो उनके बिल/अन्य बकाया जमा सुरक्षा धन अथवा अन्य स्रोत से कर ली जावेगी। यदि हानि की वसूली निविदादाता से विभागीय स्तर पर सम्भव नहीं होती है तो यह वसूली पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत अथवा नियमानुसार अन्य से वसूल की जावेगी।

14. फाल्ट क्लेज -

यदि बिड अवधि में निविदादाता अनुमोदित दरों को कम करता है अथवा इसी प्रकार माल को कम दर पर अन्य किसी को बेचता है तो उसे निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर को इस प्रकार की दरों में कमी एवं कम दरों पर बेचा सामान की सूचना देनी होगी तथा जिस दिनांक से दरों में कमी की गई है उसी दिनांक से इस विभाग में दिये गये सामान की कीमत भी कम दर से लगानी होगी। अनुमोदित दरों से कम दर पर किसी अन्य को माल नहीं बेचने का प्रमाण पत्र बिल में अंकित करना होगा।

निविदा अवधि में या उसके बाद भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि निविदादाता द्वारा फाल्ट क्लेज की शर्तों की पालना नहीं की गई है जो विभाग से प्राप्त अधिक राशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

15. अनुबन्ध पत्र भर कर प्रस्तुत करना -

निदेशालय द्वारा स्वीकृत वस्तुओं की सूचना मिलने पर निविदादाता को पत्र निर्गमित होने के 7 दिन के अन्दर 500/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा साथ ही सफलतम निविदादाता को बयान राशि के अतिरिक्त 03 प्रतिशत प्रतिभूति राशि भी जमा करवानी होगी इस

16. अस्वीकृत वस्तुएं -

निविदादाता द्वारा सप्लाई की गई वस्तुएं अस्वीकृत होने पर अस्वीकृत की सूचना निर्गमित होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर अस्वीकृत वस्तु को निविदादाता को स्वयं अपने खर्चे पर उठा लेना होगा। निर्धारित अवधि के बाद अस्वीकृत माल को न उठाने पर उन वस्तुओं के मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह किराया निविदादाता से वसूल किया जावेगा जो अस्वीकृत वस्तुओं के मूल्य से अधिक नहीं होगा वस्तु के खराब होने टूटने फुटने आदि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। निविदादाता द्वारा अस्वीकृत की सूचना निर्गमित होने की दिनांक से 6 माह की अवधि में माल नहीं उठाने पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत माल निलामी नष्ट जैसी परिस्थिति हो कर दिया जावेगा एवं उससे प्राप्त हुई राशि राज्य कोष में जमा करा दी जावेगी।

17. सामान के साथ प्राप्त पैकिंग सामग्री को नहीं लौटाना -

निविदादाता द्वारा सप्लाई किये गये माल के साथ जो भी पैकिंग सामग्री जैसे खोले बोरियां डिब्बे पत्तियां आदि होना वह नि:शुल्क होगा तथा निविदादाता को लौटाया नहीं जावेगा। निविदादाता सप्लाई करने वाले माल की ठीक ढंग से पैकिंग के लिये उत्तरदायी होंगे। रास्ते में किसी प्रकार की क्षति व हानि होने के लिये विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।

18. राज्याधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना -
बिडस स्वीकृत हेतु अथवा बिड सम्बन्धी किसी कार्य हेतु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना या उनके पास सिफारिश पहुंचाना गम्भीर अपराध समझा जावेगा तथा ऐसे निविदादाता की बिड स्वीकार नहीं की जावेगी और यदि स्वीकार हो जाती है तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है।
19. आयातीत लाईसेन्स -
यदि किसी वस्तु के लिए आयात लाईसेन्स की आवश्यकता हुई तो उसकी व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता का होगा।
20. सुरक्षित अधिकार -
निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी वस्तु की दरें सबसे कम दरें स्वीकार न करके ऊंची दर स्वीकृत कर लें अथवा कोई भी दर स्वीकार न करे।
21. कानूनी विवाद - किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का क्षेत्र केवल जयपुर स्थित न्यायालय ही होगा।
22. वास्तविक व्यापारी द्वारा बिडस भरी जाना -
विभाग में पूर्व में कार्य कर रहे व्यापारियों के अतिरिक्त बिड केवल उन्हीं फर्मों अथवा व्यापारियों द्वारा भरी जानी चाहिये जो वास्तव में उन्हीं वस्तुओं का व्यापार करते हो जिनके लिये उन्होंने बिड दी है।
23. बिड दरें अंकित करना -
बिड प्रपत्र में आईटमों की दरें स्याही अथवा टाईप के स्पष्ट अंकों व शब्दों में भरी जानी चाहिये। दोनों में अन्तर होने पर दोनों में से जो भी कम हो वह दर मान्य होगी। काट छांट अथवा अतिलिखन/ऊपरी लेखन पर निविदादाता के दिनांक सहित हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
24. बिड के साथ प्रेषित किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र
बिड प्रपत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों और लाईसेन्सों यथा रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, टिन नं. प्रमाण-पत्र जीएसटी पंजीयन की प्रमाणित फोटो प्रतियां भिजवाना अनिवार्य है:
- I. मूल बिड प्रपत्र न्य बिड राशि।
 - II. लघु ईकाई के लिये पंजीकरण एवं क्षमता प्रमाण पत्र की प्रति।
(केवल लघु उद्योग ईकाई के रूप में पंजीकृत निविदादाताओं के लिये)
 - III. बिडस घोषणा पत्र
अगर उपरोक्त प्रमाण पत्र बिड के साथ प्राप्त नहीं होंगे अथवा उनका बिड वर्ष के लिये नवीनीकरण नहीं होगा अथवा त्रुटिपूर्ण होंगे तो प्राप्त बिड पर विचार नहीं किया जा सकेगा। यदि राज्य हित में किसी बिड पर विचार कर लिया गया तो भी निविदादाता द्वारा प्रदत्त माल का भुगतान वॉछित समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटो प्रतियां प्रेषित करने पर ही किया जावेगा।
25. अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकार -
बिड के नियम/शर्तों तथा बिड प्रपत्र में दिये गये विवरण आदि में निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर द्वारा दिया गया शर्त एवं निर्णय अन्तिम समझा जायेगा एवं उसे निविदादाता को मानने को बाध्य होगा।
26. निजी शर्त लगाकर बिडस प्रस्तुत करना -
निविदा शर्तों के विपरीत निविदादाता की कोई निजी शर्त मान्य नहीं होगी। यदि किसी भी निविदादाता ने कोई निजी शर्त लगाकर बिड दी है तो वह शर्त तब तक मान्य नहीं होगी जब तक विभाग द्वारा उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता।
27. निरीक्षण अधिकारी -
निविदादाता की फर्म या कम्पनी का निर्माण शाखा/ दुकान / गोदाम का निरीक्षण करने का अधिकार निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा।
28. बिड शर्तों में शिथिलता करने हेतु केवल राज्य सरकार ही सक्षम होगी-
मैंने/ हमने उपरोक्त सभी शर्तों /नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इनकी पालना करने को सहमत हूँ।